न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 104 / 2019

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 09 / 08 / 2019

निर्णय दिनांक : 05/11/2019

कन्हैयालाल पुत्र स्व0 नारायण, जाति कुम्हार, निवासी गुढाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादी

उपस्थिति – श्री मगनलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 5/11/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणात्मक व दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के 38 के आराजी खसरा नम्बर 704 रकबस 1.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2251 / 708 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2274–1249 रकबा 0.3300 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 2.180 हैक्टेयर, खाता संख्या 40 के आराजी खसरा नम्बर 871 / 2139 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खाता संख्या 229 के आराजी खसरा नम्बर 1.192 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1210 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1211 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1216 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1219 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1221 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1223 रकबा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

0.300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1227 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1228 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1229 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1230 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1236 रकबा 0.22800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1237 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1238 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1239 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1240 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1241 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1243 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1244 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, कुल किता 35 कुल रकबा 9.0000 हैक्टेयर, एवं संख्या 225 के आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2264/1210 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खाता संख्या 385 के आराजी खसरा नम्बर 707 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 2252/708 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.2700 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढाबैरसल तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात जो वादी के स्वर्गीय पिताजी नारायण की आराजीयात रही हैं उपरोक्त आराजीयात वादी को जरिये नामान्तकरण से वादी को प्राप्त हुई है। जिसमें वादी का हिस्सा हैं परन्तु नामान्तकरण के समय राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से कानाराम दर्ज हो गया हैं जबकि वादी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल हैं जो कि आधार कार्ड, राशनकार्ड, मार्कलिस्ट, विद्युत बिल, पानी के बिल, पहचान पत्र आदि में नाम कन्हैयालाल दर्ज है से पूर्णतया साबित हैं। इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम कन्हैयालाय ही दर्ज होना चाहिए था। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल के स्थान पर कानाराम मात्र राजस्व कारकुनानों से सहवन से हुआ हैं जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी जब अपने हिस्से की आराजीयात पर के.सी.सी. लेने के लिए जमाबन्दी निकलवाने के पटवारी हल्का के पास गया एवं नकल प्राप्त की तो वादी की तो वादी को उक्त गलत नाम की जानकारी हुई जिस पर वादी ने पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मौजमाबाद को उक्त

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

नाम को दुरूस्त करने की प्रार्थना की तो उन्होने न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी। इसलिये उक्त वाद–पत्र पेश किया जा रहा हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की फरमाई जावे कि विवादित आराजी वर्णित वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में वादी के नाम कानाराम को हजफ कर उसके स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज किया जावे एवं हस आशय की तहरीर तहसीलदार मौजमाबाद को भिजवायी जावे।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 कन्हैयालाल, पी.डब्ल्यू 2 लालीदेवी, पी.डब्ल्यू 3 गीतादेवी, पी.डब्ल्यू 4 हरदेव के शपथ–पत्र पेश हुये। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर एकतरफा बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात जमाबन्दी सत्य प्रतिलिपी, ना0स0 103 जमाबन्दी असल 2066–2069, ग्राम पंचायत गुढाबैरसल लेटरपेड असल, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान–पत्र, मार्कशीट, बिजली बिल, पानी बिल एवं प्रतिवादी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार विवादित आराजी में खातेदार कानाराम पुत्र नारायण, जाति कुम्हार सा0 देह दर्ज है, जबकि वादी ने अपने वाद–पत्र में अपना सही एवं वास्तविक नाम कन्हैयालाल पुत्र नारायण होना अंकित करते हुये उसे दुरूस्त करवाकर दर्ज करवाना चाहा हैं इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत गुढाबैरसल के अनुसार कन्हैयालाल उर्फ कानाराम एक ही व्यक्ति है एवं दोनों नामों से जाना जाता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशनकार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, अंकतालिका, विद्युत बिल आदि सभी में वादी का नाम कन्हैयालाल ही दर्ज है, जिससे जिससे यह पाया जाता है कि वादी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल ही है, लेकिन वरवक्त वादी की विरासत दर्ज करते

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

समय वादी को घर पर कानाराम बोलने की वजह से वादी का बोलता नाम कानाराम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया हैं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब में सम्पूर्ण विवेचन करते हुये अन्त में अंकित किया है कि "वादी का नाम कानाराम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज करने पर राज्य हित प्रभावित नही होता हैं।" इस प्रकार तहसीलदार मौजमाबाद ने भी वादी के वाद की ताईद करते हुये डिकी किये जाने बाबत अनुशंषा की हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 38 के आराजी खसरा नम्बर 704, 2251/708, 2274/1249 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1800 हैक्टेयर, खाता संख्या 229 के आराजी खसरा नम्बर 1192, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1241, 1242, 1243, 1244 कुल किता 35 कुल रकबा 9.0000 हैक्टेयर, खाता संख्या 225 के आराजी खसरा नम्बर 1209, 2264/1210 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खाता संख्या 385 के आराजी खसरा नम्बर 707, 778, 2252/708 कुल किता 03 कुल रकबा 0.2700 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढाबैरसल, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में दर्ज वादी का नाम कानाराम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर कन्हैयालाल दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 5/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

15/10/19- पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रति० उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली बहस से बहस हेतु नियत हो गई है। अब कि उनकी वापस लिया जाना शेष है। अतः पत्रावली में तनकीयात वापस ली जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दि० 21/10/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर

21/10/19- पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रति० उप०। वकील वादी ने गवाह PW-1 कन्हैयालाल, PW-2 भोली देवी, PW-3 सीता देवी, PW-4 हरदेव के शपथ पत्र पेश किये। प्रस्तुत शपथ पत्रों पर गवाहों के स्वरूप बयान लिये गये। वकील वादी ने और साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया। साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 22/10/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फा० ट्रै०)

22/10/19- पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रति० उप०। वकील वादी एवं पैरा सरकार ने बहस करना जाहिर किया। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 5/11/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

5/11/19- पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। आदेश सुनाया गया। वकील वादी एवं प्रति० उप०। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। खर्चा डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० कि किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

Scanned by CamScanner